फा.सं. के -11011/30/2023-CB-भाग(1)

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

****

5 अप्रैल, 2024 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की दूसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

1. वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक 5 अप्रैल, 2024 को जीवन भारती भवन, नई दिल्ली में सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-क** में दी गई है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यसूची/एजेंडा संबंधी कार्रवाई की शुरुआत की।

I. केन्द्रीय एजेंडा: चार केन्द्रीय एजेंडा विचार एवं अनुमोदन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष रखे गए।

एजेंडा-1: ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं (जीपीएसडीपी) के संवर्धन के प्रारम्भिक अध्ययन का सभी 34 ग्राम पंचायतों पर विस्तार।

1.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने **17** राज्यों के **17** प्रतिष्ठित योजना और वास्तुकला कॉलेजों की मदद से **2020-21** में **14** राज्यों में **34** जीपीएसडीपी तैयार किए थे।

1.2 चूंकि तैयार जीपीएसडीपी में योजनाओं में कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं के बारे में अधिक विवरण नहीं थे, इसलिए **2023-24** में पायलट आधार पर **7** जीपीएसडीपी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था और सीईसी में वित्त वर्ष **2023-24** के लिए **35** लाख रुपये (**7** जीपी **x 5** लाख रुपये) के वित्तीय निहितार्थ सहित अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिसे पुनर्निर्मित आरजीएसए के केंद्रीय घटक से खर्च किया जाना था। तदनुसार, जीपीएसडीपी को बढ़ाने के लिए सचिव, एमओपीआर द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश संस्थाओं को जारी किए गए थे। **1.3 22-23** फरवरी **2024** को भोपाल (मध्य प्रदेश) में आयोजित जीपीएसडीपी पर क्रॉस-लर्निंग एवं इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, सभी **34** ग्राम पंचायतों को उनके स्थानिक विकास योजनाओं को बढ़ाने के लिए विस्तारित प्रारम्भिक अध्ययन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

1.4 तदनुसार, संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक से वित्त वर्ष **2024-25** के लिए **₹ 1.70** करोड़ (**34** जीपी **x ₹ 5** लाख) के कुल वित्तीय निहितार्थ सहित सभी **34** जीपीएसडीपी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।

1.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और "ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं (जीपीएसडीपी) के संवर्धन के प्रारम्भिक अध्ययन को सभी **34** ग्राम पंचायतों तक विस्तारित करने" को मंजूरी दी, जिसका कुल वित्तीय भार वित्त वर्ष **2024-25** के लिए संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक से **₹ 1.70** करोड़ (**34** ग्राम पंचायत **x ₹ 5** लाख) होगा।

एजेंडा संख्या 2: नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए दरों में संशोधन को मंजूरी।

2.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि **17** अक्टूबर **2023** को आयोजित बैठक में सीईसी की मंजूरी के आधार पर आरजीएसए के केंद्रीय घटक के तहत **15** से **19** जनवरी **2024** के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) में परिचयात्मक नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किया गया था।

2.2 शीर्ष संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित परिचयात्मक एमडीपी के लिए अनुमोदित लागत मानदंड ट्विन शेयरिंग के आधार पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 7,811/- रुपये थे। हालांकि, प्रतिभागियों की प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्तर के अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं, प्रतिभागियों को एकल अधिभोग कमरे उपलब्ध कराए गए थे। तदनुसार, लागत को संशोधित कर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन लगभग 10,000/- रुपये कर दिया गया। वहीं, मंत्रालय के अ.शा. पत्र संख्या एम-11/8/2023-सीबी, दिनांक 16 जनवरी 2024 के जवाब में, अन्य शीर्ष संस्थानों से भी पीआरआई के एमडीपी आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनके प्रस्तावों पर उनके साथ परामर्श किया गया था। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों का सारांश निम्नानुसार है:

क्र. स.	संस्थान का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	एकल अधिकार-प्रति दिन प्रति प्रतिभागी लागत	एकल अधिकार हेतु प्रस्ताव की कुल लागत	दिन
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएम) बोधगया	50	9,500	23,75,000	5
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) / भारतीय खान विद्यालय (आईएसएम), धनबाद	50	10,000	25,00,000	5
3	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए)	40	10,000	20,00,000	5
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएम) शिलांग	50	10,000	25,00,000	5
5	भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएम) रोहतक	40	9,350	18,70,000	5
6	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद और मोहाली	60	16,000	48,00,000	5

2.3 उपरोक्त प्रस्तावों के अनुसार, 5 दिवसीय आवासीय एमडीपी आयोजित करने की अनुमानित लागत आईएसबी को छोड़कर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन लगभग 10,000 रुपये है। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर ईआर यानी सांसदों, विधायकों और पीआरआई के ईआर के बीच चर्चा/बातचीत के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि वे जमीनी स्तर पर स्थानीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक हैं। जबकि एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी के तहत निधियों का उपयोग पंचायतों में किया जा रहा है, चर्चा या विचारों के आदान-प्रदान के औपचारिक मंचों की गंभीर रूप से कमी है। साथ ही, एसआईआरडी और पीआर, पीआरटीआई आदि जैसे पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन संकाय सदस्यों के लिए संरचित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की गई है।

2.4 तदनुसार, सीईसी के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

(i) प्रारंभिक कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव और अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर एकल अधिभोग और परिसर आवास के लिए एमडीपी की लागत को 7,811/- रुपये प्रति प्रतिभागी से संशोधित कर 10,000/- रुपये प्रति प्रतिभागी करना।

(ii) संसद सदस्यों (एमपी), विधान सभा सदस्यों (एमएलए) और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए संयुक्त/एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समान उत्कृष्टता संस्थानों में प्रबंधन विकास कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे इन प्रतिनिधियों को अलग-अलग काम करने के बजाय निकट समन्वय में काम करने में मदद मिलेगी। इससे परिप्रेक्ष्य साझा करने में मदद मिलेगी और स्थानीय स्वशासन का समग्र दृष्टिकोण मिलेगा। हालाँकि, ये कार्यक्रम 3 दिनों की अवधि के होंगे और अतिरिक्त संसाधनों और लजिस्टिक्स की आवश्यकता के कारण इन कार्यक्रमों पर प्रति प्रतिभागी 15,000/- रुपये प्रति दिन तक खर्च की मंजूरी दी जा सकती है।

(iii) पीआरआई के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता काफी हद तक प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय की योग्यता पर निर्भर करती है। हालांकि, पीआरआई प्रशिक्षण में लगे संकाय/प्रशिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में उल्लेखनीय अंतर है। गुणवत्तापूर्ण सीबीएंडटी के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए नियमित कौशल उन्नयन और संकाय की गुणवत्ता में वृद्धि भी अनिवार्य है। इस प्रकार, मंत्रालय का उद्देश्य एसआईआरडीएंडपीआर और अन्य पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए समान उत्कृष्टता संस्थानों में एमडीपी कार्यक्रम की तर्ज पर और समान लागत मानदंडों यानी प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 10,000 रुपये की दर से संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित करना है।
(iv) नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम, संसद सदस्यों (एमपी), विधान सभा सदस्यों (एमएलए) और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के संयुक्त/एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एमओपीआर/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और चयनित संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) (अनुबंध-

एमडीपी (I) में संलग्न) के मसौदे के लिए भी अनुमोदन मांगा गया था। मसौदा एमओयू जनवरी 2024 के दौरान आयोजित परिचयात्मक एमडीपी के लिए आईआईएम अहमदाबाद के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के लगभग समान है।

2.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने उपरोक्त पैरा 2.4 में उल्लिखित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी, जिसे निम्नानुसार दोहराया जाता है:

(i) विभिन्न उत्कृष्टता संस्थानों के साथ 5 दिवसीय आवासीय एमडीपी आयोजित करने के लिए लागत को 7,811/- रुपये प्रति प्रतिभागी से बढ़ाकर 10,000/- रुपये प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन करने की स्वीकृति दी गई।

(ii) संसद सदस्य (एमपी), विधान सभा सदस्य (एमएलए) और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एमडीपी के समान विभिन्न राज्यों में 3 दिनों की अवधि के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 15,000/- रुपये की दर से संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करने की स्वीकृति दी गई।

(iii) एसआईआरडी और पीआर तथा अन्य पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए एमडीपी की तर्ज पर समान उत्कृष्टता संस्थानों में और समान लागत मानदंडों के साथ एफडीपी आयोजित करने की स्वीकृति दी गई, अर्थात प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 10,000/- रुपये की दर से।

(iv) सीईसी ने उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सांसदों, विधायकों और पीआरआई के एमडीपी, एफडीपी और संयुक्त/एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एमओपीआर/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चयनित संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (अनुबंध-I में संलग्न) के प्रारूप को भी मंजूरी दी। .

एजेंडा-3: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में एसपीएमयू/एसएनओ/राज्य स्तरीय अधिकारियों/डीपीएमयू/जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आरजीएसए के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं

3.1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें **2030** के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने के लिए पीआरआई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण, साक्ष्य आधारित विषयगत पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की तैयारी, स्थानिक योजना, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) का संस्थागतकरण आदि शामिल हैं। इन पहलों को कई पोर्टल और एप्लिकेशन जैसे ईग्रामस्वराज, ईजीएस के साथ पीएफएमएस एकीकरण, जीईएम-ईजीएस एकीकरण, ऑडिट ऑनलाइन, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल, जीपीडीपी डैशबोर्ड, संशोधित पोर्टल पंचायत विकास योजना, स्वामित्व डैशबोर्ड, मेरी पंचायत, जीएस निर्णय आदि के शुभारंभ द्वारा सहायता की गई ।

3.2 मंत्रालय की ऐसी पहल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुख्य रूप से राज्य और जिला स्तर पर आरजीएसए की परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) सहित पंचायती राज विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि आरजीएसए नोडल अधिकारी और राज्य परियोजना प्रबंधक (एसपीएम)/जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) मंत्रालय की विभिन्न नई पहलों के बारे में पर्याप्त रूप से अपडेट नहीं हैं, जो योजना के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है और नई पहलों के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, इस तरह की पहलों पर उपयुक्त अभिविन्यास इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

3.3 तदनुसार, राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ)/राज्य स्तरीय अधिकारियों/जिला स्तरीय अधिकारियों, आरजीएसए के राज्य/जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू/डीपीएमयू) को मंत्रालय की नई पहलों पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने और मंत्रालय के विभिन्न नए और संशोधित पोर्टलों पर व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करने के लिए **2024-25** के दौरान कम से कम **12** पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने का प्रस्ताव किया गया था। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आरजीएसए के केंद्रीय घटक के तहत **2024-25** के दौरान **1.80** करोड़ रुपये (प्रत्येक कार्यक्रम में **50** प्रतिभागियों के लिए **12** कार्यक्रम @ **15** लाख रुपये) के वित्तीय निहितार्थ सहित आयोजित करने का प्रस्ताव था। **3.4** सीईसी का निर्णय: सीईसी ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के तहत **2024-25** के दौरान **1.80** करोड़ रुपये (प्रत्येक कार्यक्रम में **50** प्रतिभागियों के लिए **12** कार्यक्रम @ **15** लाख रुपये) तक के वित्तीय निहितार्थ के साथ **12** पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन को मंजूरी दी, ताकि राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) / राज्य स्तरीय अधिकारियों / जिला स्तरीय अधिकारियों, आरजीएसए के राज्य / जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू / डीपीएमयू) को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से / विभिन्न बैचों में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।.

एजेंडा-4: "स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति" परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित।

4.1 बिहार के बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 प्रखंडों की 455 पंचायतों के लिए "स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति" के बारे में बिहार राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 8 फरवरी, 2024 को अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आरजीएसए के राज्य घटक अर्थात् "नवाचार के लिए सहायता" के तहत 5 करोड़ रुपये की राशि को परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश के साथ मंजूरी दी गई।

4.2 मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और कार्यान्वयन में धीमी गति देखी गई, जिससे अनुमोदन पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए, परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, सीईसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से पायलट आधार पर आरजीएसए के राज्य घटक के बजाय केंद्रीय घटक के तहत कार्यान्वयन के लिए बिहार के बेगूसराय जिले की 229 ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई थी और परियोजना के समय पर पूरा होने की शर्त के साथ, पुन: स्थापित आरजीएसए के वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ बीएसएनएल को 3.24 करोड़ रुपये की राशि का कार्य आदेश जारी किया गया था।

4.3 उपर्युक्त परियोजना का शेष भाग अर्थात बिहार के रोहतास जिले में 226 ग्राम पंचायत संशोधित आरजीएसए के राज्य घटक के अंतर्गत रहेगी, जिसकी लागत 1.76 करोड़ रुपये होगी तथा राज्य घटक के लागत साझाकरण पैटर्न के साथ, जैसा कि अपर सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है।

सीईसी का निर्णय: सीईसी ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नलिखित के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की:

क्र.सं.	**परियोजना**	**जिला**	**लागत/ इकाई**	**केंद्रीय हिस्सा**	**के तहत स्वीकृत**
1	स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति	बेगूसराय	1.20 लाख + 18% जीएसटी	3.24	संशोधित आरजीएसए का केंद्रीय घटक
2		रोहतास		1.76	संशोधित आर.जी.एस.ए. का राज्य घटक। समीक्षा के बाद इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

II. राज्य एजेंडा:

1. सीईसी ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार किया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

क. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई अभिनव पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।

ख. राज्यों को कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।

ग. राज्य महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए पीआरआई को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेगा।

घ. पीआरआई के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

ङ. राज्यों को "सरपंच पति" की संस्कृति की जाँच करने के लिए अपने एएपी में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखा, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए।

च. पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई प्रथा को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए खोजा जा सकता है।

छ. वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के ई.आर. पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के ई.आर. और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के ई.आर. और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार किया जाना चाहिए।

ज. राज्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की प्रतिक्रिया और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करेगा।

झ. राज्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। 2024-25 के दौरान 100% डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

ञ. राज्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समय पर धन जारी करने के लिए उपलब्ध धन के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करेगा।

ट. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए कर्नाटक एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल की जांच करने की सलाह दी जाती है।

ठ. मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

ड. प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होने चाहिए और समापन सत्र के साथ होना चाहिए। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

2. वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के लिए राज्यवार सीईसी अवलोकन और अनुमोदित बजट निम्नानुसार हैं:

2.1 छत्तीसगढ़: 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना

छत्तीसगढ़ राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 92.22 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 88.032 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

i. **एलडब्ल्यूई जिलों के ग्राम पंचायत भवन में इंटरनेट कनेक्शन**: राज्य को एलडब्ल्यूई जिलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता की जांच करने और मंत्रालय को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

ii. **विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की तैनाती**: छत्तीसगढ़ राज्य ने सूचित किया कि राज्य वित्त विभाग द्वारा सहमति में देरी के कारण विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की तैनाती नहीं की जा सकी। अध्यक्ष ने इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित एएपी के अनुसार कर्मियों की भर्ती करने और रिपोर्ट देने को कहा।

iii. **संस्थागत अवसंरचना**: राज्य ने संशोधित आरजीएसए के संस्थागत अवसंरचना के तहत एक पेसा अनुसंधान केंद्र सह एसपीआरसी का प्रस्ताव दिया है। सीईसी ने राज्य को पेसा अनुसंधान केंद्र के उद्देश्यों, मिशन, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विवरण के साथ प्रस्ताव को फिर से तैयार करने और इसे फिर से प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

iv. ग्राम पंचायत भवन: राज्य ने 27.15 करोड़ रुपये की लागत से 210 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। सीईसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, हालांकि, राज्य को केंद्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) से भी अभिसरण के लिए कहा गया।

v. **पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**: राज्य ने 800 पेसा ग्राम पंचायतों के लिए 4.00 करोड़ रुपये की राशि के कंप्यूटरों की खरीद का प्रस्ताव दिया है। सीईसी ने अन्य योजनाओं/निधियों के अभिसरण के साथ ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण को संतृप्त करने के अनुरोध के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी।

vi. **आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहयोग**: सीईसी ने संशोधित आरजीएसए के राज्य घटक से आर्थिक विकास और आय वृद्धि की परियोजना को कैरीओवर गतिविधियों के रूप में मंजूरी दी। हालांकि, राज्य को आय वृद्धि और लाभार्थी के विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी है।

vii. सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, **छत्तीसगढ़** की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-I** में दिया गया है।

2.2 कर्नाटक: 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना

कर्नाटक राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 169.26 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 169.26 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

i. **<u>प्रशिक्षण की गुणवत्ता</u>:** सीईसी ने सराहना की कि राज्य द्वारा आयोजित सीबीएंडटी गतिविधियाँ अच्छी तरह से आयोजित की जाती हैं।

ii. **<u>ग्रामीण अध्ययन केंद्र</u>:-** डिजिटल लाइब्रेरी, सैटकॉम सुविधाओं के माध्यम से पंचायत भवनों को ग्रामीण अध्ययन केंद्रों में परिवर्तित करने और एसआईआरडी द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की संस्कृति की सीईसी द्वारा अत्यधिक सराहना की गई।

iii. **<u>सेवाओं का व्हाट्सएप एकीकरण</u>:-** कर्नाटक ने व्हाट्सएप के माध्यम से 73 सार्वजनिक सेवा पोर्टलों को एकीकृत किया है। राज्य पंचायत विभाग ने इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

iv. **<u>क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम</u>:-** सीईसी ने "प्रत्येक एक को सिखाए" की थीम पर अशिक्षित ईआर के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

v. **<u>यंग फेलो पेशेवर</u>:-** कम कार्य-निष्पादन करने वाले 51 जिलों में एम.फिल. और स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की विशेष भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती कार्यक्रम की सीईसी द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई।

vi. सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, कर्नाटक की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-II** में दिया है।

2.3 केरल: 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना

केरल राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 73.195 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 72.149 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

i. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी):** राज्य ने 1.01 करोड़ रुपये की राशि के 3250 प्रतिभागियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इसे सीईसी ने इस टिप्पणी के साथ मंजूरी नहीं दी कि ईआर का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण चुनाव के 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए और पिछला चुनाव 2020 में हुआ था।

ii. **सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति:** उक्त घटक के तहत राज्य द्वारा 0.25 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। सीईसी ने इसे इस अनुरोध के साथ मंजूरी दी कि राज्य प्रस्तावित घटक का विवरण प्रदान करेगा।

iii. सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, केरल की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध- III** में दिया गया है।

2.4. महाराष्ट्र: 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना

महाराष्ट्र राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 440.34 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 379.743 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

i. **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:** सीईसी की बैठक के दौरान, राज्य ने बताया कि सीबीएंडटी गतिविधियों के विरुद्ध कुछ अतिरिक्त व्यय किया गया है, जो 2023-24 के एएपी का हिस्सा थे, क्योंकि धन की कमी के कारण वित्तीय देयता के रूप में कैरीओवर किया गया था और इसे चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए जाने वाले आवंटन से खर्च करने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर ध्यान देते हुए, सीईसी ने पाया कि राज्य ने वित्तीय देयताओं को वहन करने वाली गतिविधियों का विवरण नहीं दिया है। सीईसी ने यह भी माना कि भविष्य में, अगले वित्त वर्ष में ले जाने के लिए सीबीएंडटी गतिविधियों के विरुद्ध ऐसी देनदारियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और सीबीएंडटी गतिविधियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध धन तक सीमित रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने अनुपालन के लिए इसे नोट किया।

ii. **पंचायत भवन का निर्माण:** राज्य ने 2023-24 के दौरान स्वीकृत 429 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए एक कैरी ओवर गतिविधि और 300 नए निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 68 पेसा क्षेत्र/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र/आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और 429 कैरी ओवर और 68 नए निर्माण को मंजूरी दी, जो पेसा क्षेत्र में आते हैं।

iii. **पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी):** राज्य ने 2023-24 के दौरान नई गतिविधि के रूप में 68 पीएलसी और कैरी ओवर के रूप में 45 पीएलसी को मंजूरी दी है, हालांकि, सीईसी ने केवल 45 कैरी ओवर पीएलसी को मंजूरी दी, जिसकी राशि 3.15 करोड़ रुपये है।

iv. सीईसी ने प्रशिक्षण मैनुअल/मॉड्यूल का स्थानीय भाषा में अनुवाद करने और पेसा से संबंधित मुद्दों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का सुझाव दिया।

v. सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, महाराष्ट्र की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध -IV** में दिया गया है।

2.5 उत्तर प्रदेश : 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना

उत्तर प्रदेश राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 381.396 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा

की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 360.847 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:-

i. उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों ने वार्षिक कार्य योजना (एएपी) 2023-24 की प्रगति पर विवरण प्रस्तुत किया। उन्हें बताया गया कि 2023-24 के दौरान 615 ग्राम पंचायत भवनों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 589 जीपी भवन पूरे हो चुके हैं और 26 जीपी भवनों में काम चल रहा है, जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है और इसे 2024-25 की एएपी के तहत कैरी ओवर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आगे बताया गया कि 1055 जीपी में जीपी भवन नहीं हैं, जिनमें से 100 जीपी भवनों को एएपी 2024-25 के तहत प्रस्तावित किया गया है और बाकी को राज्य के बजट से पूरा किया जाएगा।

ii. यह भी बताया गया कि 2023-24 के ए.ए.पी. में कैरी ओवर के रूप में 4037 सी.एस.सी. सह-स्थापन को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 1207 सह-स्थापान को पूरा कर लिया गया है और शेष 2830 को 2024-25 के दौरान कैरी ओवर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य ने 2024-25 के दौरान 1000 नए सी.एस.सी. सह-स्थान प्रदान करने का अनुरोध किया। सी.ई.सी. ने उत्तर प्रदेश राज्य के ए.ए.पी. 2024-25 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी:-

पंचायत अवसंरचना:

i. **ग्राम पंचायत (जीपी) भवन:** सीईसी ने तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से **1.344** करोड़ रुपये की राशि के **26** जीपी भवनों के निर्माण और **20** करोड़ रुपये की लागत से **100** नए जीपी भवनों के निर्माण को मंजूरी दी।

ii. **सीएससी का सह-स्थापन:** सीईसी ने 106.58 करोड़ रुपये की लागत से 2830 सीएससी के सह-स्थापन को मंजूरी दी। सीईसी ने जीपी भवनों में 50 करोड़ रुपये की लागत से 1000 सीएससी के सह-स्थापन को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, इस शर्त के अधीन कि राज्य सीएससी सह-स्थापन को आगे बढ़ाने का काम पूरा करेगा और नए स्वीकृत 1000 सीएससी सह-स्थापन के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए एमओपीआर से संपर्क करेगा। सीईसी ने समिति के अध्यक्ष को राज्य से प्राप्त होने पर ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत किया।

iii. सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर उत्तर प्रदेश की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-v** में दिया गया है।

अनुबंध-I

बजट सारांश
छत्तीसगढ़ राज्य (2024-25)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	85248 प्रतिभागियों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण	7.640
ii	विषयगत प्रशिक्षण - 16519 प्रतिभागियों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) / सेक्टर सक्षमकर्ताओं के प्रशिक्षण का स्थानीयकरण	3.024
iii	373 प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण	0.103
iv	2105 प्रतिभागियों के लिए पेसा हेतु प्रशिक्षण	0.545
v	11940 प्रतिभागियों के लिए कोई अन्य प्रशिक्षण	0.969
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	500 ग्राम पंचायतों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना	1.000
ii	राज्य के भीतर एक्सपोज़र विजिट (1000 प्रतिभागियों के लिए)	0.700
iii	राज्य के बाहर एक्सपोज़र विजिट (300 प्रतिभागियों के लिए)	0.750
iv	5 पीएलसी के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास	0.350
v	180 प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.702
	सीबी एंड टी का कुल-योग	**15.783**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.840
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष) (27 डीपीआरसी के लिए)	5.393
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (146 बीपीआरसी के लिए)	6.110
	संस्थागत अवसंरचना का कुल-योग (आवर्ती लागत)	**12.343**
4.	**पंचायतों को ई-सक्षम बनाना**	
i	800 कंप्यूटरों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	4.000
	ई-सक्षमता का कुल-योग	**4.000**
5.	**पंचायत अवसंरचना सहायता**	
i	210 पंचायत भवनों के लिए नए पंचायत भवन का निर्माण	27.150
ii	60 सीएससी के लिए पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थापन	3.000

	पंचायत अवसंरचना सहायता का कुल-योग	30.150
6.	**पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता**	
i	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक का मानदेय	0.072
ii	14 पेसा जिले में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय	0.504
iii	85 पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय	2.550
iv	5632/पेसा जीपी में 1 ग्राम सभा मोबिलाइजर का मानदेय	3.3792
v	1126 जीपी के लिए ग्राम सभा उन्मुखीकरण	1.689
	पीईएसए का कुल-योग	**8.194**
7.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.550
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	6.984
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की कुल संख्या	**10.798**
8.	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
i	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति	0.288
ii	लीज़ लाइन लागत	1.500
	कुल दूरस्थ शिक्षा सुविधा	1.788
9	**आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता**	
i	500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापित करना	2.000
	आर्थिक विकास का कुल योग	**2.000**
	कुल योग	**85.056**
10.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.701
11.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.275
	कुल	**88.032**

अनुबंध -II

बजट सारांश
कर्नाटक राज्य (2024-25)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	6 महीने के भीतर ईआर के लिए सामान्य अभिविन्यास/प्रेरण प्रशिक्षण (29 विषयों को कवर करने वाली पीआरआई की कार्यप्रणाली)	8.75
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण	19.65
iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/ सेक्टर एनेबलर्स प्रशिक्षण	20.25
iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण	10.45
v	कोई अन्य प्रशिक्षण	41.78
	कुल सीबी एंड टी	**100.88**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.10
ii	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन	0.10
iii	प्रशिक्षण सामग्री	0.20
iv	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.10
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट	8.40
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट	7.00
vii	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता	0.93
viii	पंचायत शिक्षण केंद्र	7.00
ix	पीआरआई (एमडीपी) के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम	1.00
	सीबीएंडटी का कुल योग	**24.83**
3	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	डीपीआरसी का निर्माण	2.00
	कुल संस्थागत अवसंरचना	**2.00**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	अतिरिक्त संकाय और एसपीआरसी के संचालन एवं रखरखाव पर आवर्ती लागत	0.84
ii	अतिरिक्त संकाय और डीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत	6.00
	अतिरिक्त संकाय और बीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत	9.78

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
	कुल (आवर्ती लागत)	**16.62**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.35
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (बीपीएमयू)	11.18
	पीएमयू का कुल योग	**14.79**
6	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
i	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति	1.00
ii	राज्य में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए सीबीएंडटी की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का कोई वैकल्पिक तरीका - आईपी आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।	0.25
	कुल दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**1.25**
7	**आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि**	
i	आय विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता	3.17
	कुल-योग (1 से 7)	**163.54**
8	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	3.27
9	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	2.45
	कुल प्लान साइज	**169.26**

अनुबंध- III

बजट सारांश
केरल राज्य (2024-25)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (3104 ई.आर.जी.पी.)	3.38
ii	पंचायत विकास योजना (23250 प्रतिभागी)	8.82
iii	विषयगत प्रशिक्षण (30000 प्रतिभागी)	9.00
iv	विशेष प्रशिक्षण (25944 प्रतिभागी)	9.38
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (30955 प्रतिभागी)	8.36
	सीबी एंड टी का कुल योग	**38.94**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	जीपीडीपी के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता (100 इकाइयां)	0.20
ii	प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन	0.10
iii	प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना	0.10
iv	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	0.20
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (1000 इकाइयां)	1.05
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (750 इकाइयां)	1.88
vii	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (28 इकाइयां)	1.96
viii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
ix	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (1000 इकाइयां)	1.25
x	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (5 इकाइयां)	0.253
	अन्य गतिविधियों की कुल संख्या सीबी एंड टी	**7.093**
	सीबीएंडटी के तहत अन्य गतिविधियों का कुल योग	**46.033**
3.	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान	0.09
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
iii	किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान(10)	0.60
iv	डीपीआरसी आवर्ती लागत(14)	1.93
v	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.156
vi	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (152	3.00

	बीपीआरसी)	
vii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (152 बीपीआरसी)	6.38
ix	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.14
	कुल लागत (संस्थागत अवसंरचना)	**13.136**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (14 डीपीएमयू)	1.51
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (152 बीपीएमयू)	7.30
	पीएमयू का कुल योग	**9.07**
5.	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1 इकाई)	1.00
ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (15 एसआईटी)	0.225
iii	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति	0.25
	दूरस्थ शिक्षा का कुल योग	**1.475**
	कुल योग	**69.714**
6.	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	1.39
7.	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	1.045
	कुल प्लान साइज	**72.149**

अनुबंध- IV

बजट सारांश
महाराष्ट्र राज्य (2024-25)

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (92961 प्रतिभागी)	32.11
ii	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (6300 प्रतिभागी)	4.73
iii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (401847 प्रतिभागी)	26.35
iv	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण / सेक्टर एनेबलर्स प्रशिक्षण (319966 प्रतिभागी)	91.69
v	विशेष प्रशिक्षण (176964 प्रतिभागी)	42.48

vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (39396 प्रतिभागी)	8.34
	कुल क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	**205.7**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.03
ii	प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना	0.08
iii	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	0.2
iv	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (3400 प्रतिभागी)	4.76
v	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (635 प्रतिभागी)	2.22
vi	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (45 पीएलसी)	3.15
vii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.1
	कुल-योग अन्य गतिविधियाँ	**10.54**
	सीबी एंड टी का योग (1+2)	**216.24**
3	**संस्थागत अवसंरचना (निर्माण/किराए पर)**	
i	नए डीपीआरसी के भवन का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान (2 डीपीआरसी)	4.00
ii	डीपीआरसी के भवन का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान (2 सीओ)	0.50
iii	किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (12 डीपीआरसी)	0.72
iv	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (12 बीपीआरसी)	0.43
	कुल संस्थागत अवसंरचना	**5.65**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष)	2.80
iii	बीपीआरसी 12 बीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत	0.50
	कुल योग (आवर्ती लागत)	**4.14**
5	संस्थागत अवसंरचना (अवसंरचना की लागत किराए पर लेना)	
i	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.16
ii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	1.54
	कुल योग	**1.70**
	कुल (संस्थागत अवसंरचना)	**11.49**
6	**पंचायत अवसंरचना**	

i	पंचायत भवन का निर्माण (429 कैरी फॉरवर्ड)	74.10
ii	पंचायत भवन का निर्माण (68 नए)	13.60
	पंचायत अवसंरचना का कुल योग	**87.70**
7	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.67
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (बीपीएमयू)	16.85
	पीएमयू का कुल योग	**20.78**
8	**पंचायतों को ई-सक्षम बनाना**	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (945 यूनिट CO)	4.73
	कुल ई-सक्षमता	**4.73**
9	**पेसा**	
i	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक का मानदेय	0.07
ii	पेसा जिले में पेसा समन्वयक का मानदेय (13 जिले)	0.47
iii	पेसा ब्लॉक में पेसा समन्वयक का मानदेय (59 ब्लॉक)	1.77
iv	ग्राम सभा मोबिलाइजर/पेसा जीपी का मानदेय (3003)	14.41
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण	0.9
	पीईएसए का कुल योग	**17.62**
10	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1 स्टूडियो)	0.50
ii	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति	0.10
	दूरस्थ शिक्षा का कुल योग	**0.60**
11	**नवाचार के लिए सहायता**	
ii	ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए अभिनव सामाजिक-आर्थिक समाधान (कैरी ओवर)	0.60
iii	ठाणे जिले के भिवंडी ब्लॉक के एक गांव में मदर ई लाइब्रेरी की स्थापना (कैरी ओवर)	2.00
iv	ठाणे जिले के दुधानी और वापे नामक दो गांवों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण (कैरी ओवर)	2.07
	नवाचार के लिए पूर्ण सहायता	**4.67**
12	**आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता**	
i	पलासखेड़ा, जिला- जलगांव के लिए कृषि उपज के लिए सोलर ड्राइंग परियोजना (आगे बढ़ाया गया)	3.08
	कुल आर्थिक विकास	**3.08**

	कुल (1 to 10)	**366.91**
13	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	**7.33**
14	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	**5.503**
	कुल योजना आकार	**379.743**

अनुबंध –v

बजट सारांश
उत्तर प्रदेश राज्य (2024-25)

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	सीईसी द्वारा अनुमोदित घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	रिफ्रेशर प्रशिक्षण (**750** प्रतिभागियों के वर्चुअल प्रशिक्षण सहित **346962** प्रतिभागी)	34.625
ii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (**57702** प्रतिभागियों के वर्चुअल प्रशिक्षण सहित **69614** प्रतिभागी)	3.839
iii	विषयगत प्रशिक्षण (**17170** प्रतिभागी, जिनमें **1802** प्रतिभागियों का वर्चुअल प्रशिक्षण शामिल है)	3.485
iv	विशेष प्रशिक्षण (**96718** प्रतिभागी)	17.853
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (**183714** प्रतिभागी, जिनमें **115012** प्रतिभागियों का वर्चुअल प्रशिक्षण शामिल है)	21.361
vi	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.10
vii	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन	0.10
viii	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.10
ix	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (1500 प्रतिभागी)	1.05
x	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (500 प्रतिभागी)	1.75
xi	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता (2500 जीपी)	5.00
xii	पंचायत लर्निंग सेंटर (150 नए पीएलसी)	10.50
xiii	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर ट्रेनर (50 प्रतिभागी)	0.063
xiv	पीआरआई के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) (1000 प्रतिभागी)	3.906
	कुल (सीबी एंड टी)	**103.732**
2.	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	किराए के भवन में ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) (413)	14.868
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.404
iii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.346
iv	राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) आवर्ती लागत (एक एसपीआरसी)	0.84
v	जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) आवर्ती लागत (25 डीपीआरसी)	4.998
vi	ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) आवर्ती लागत (413)	17.346
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**38.802**
3.	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता	

क्र.सं.	सीईसी द्वारा अनुमोदित घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
i	ग्राम पंचायत भवन का निर्माण (26 कैरी फॉरवर्ड)	1.344
ii	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थापन (2830 कैरी फॉरवर्ड)	106.58
iii	ग्राम पंचायत भवन का निर्माण (100 नए)	20.00
iv	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थापन (1000 नए)	50.00*
	पंचायत अवसंरचना का कुल योग	**177.924**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.262
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (75 डीपीएमयू)	8.10
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (826 बीपीएमयू)	19.824
	पीएमयू का कुल योग	**28.186**
	1 से 4 तक का कुल-योग	**348.644**
5.	आईईसी गतिविधियाँ (स्वीकृत प्लान साइज का 2%)	**6.973**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5%)	**5.230**
	कुल प्लान साइज	**360.847**

*सैद्धान्तिक अनुमोदन।

अनुबंध –क

5 अप्रैल, 2024 को आयोजित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित आरजीएसए की दूसरी सीईसी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर):

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री विवेक भारद्वाज	अध्यक्ष एवं सचिव
2	डॉ. चन्द्रशेखर कुमार	
3	श्री विकास आनंद	अपर सचिव
4	श्री आलोक प्रेम नगर	संयुक्त सचिव
5	डॉ. बिजय कुमार बेहेरा	संयुक्त सचिव
6	श्री राजेश कुमार सिंह	आर्थिक सलाहकार
7	सुश्री तनुजा ठाकुर	संयुक्त सचिव
8	श्री विपुल उज्जवल	संयुक्त सचिव
9	सुश्री सुनीता जैन,	निदेशक

लाइन मंत्रालय की सूची:

क्र.सं.	नाम	मंत्रालय/संगठन/राज्य
1	डॉ. संजय कुमार, अपर आयुक्त (विस्तार)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2	श्री अमित भारद्वाज उप सलाहकार	नीति आयोग
3	श्री उमेश प्रताप सिंह, निदेशक	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता
4	श्री समीर डेनियल, डीओएसईएल	शिक्षा मंत्रालय
5	श्री राहुल कृष्ण, पीए	शिक्षा मंत्रालय
6	श्री सेवक पॉल, यूएस	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
7	श्री भीम प्रकाश, यूएस	ग्रामीण विकास मंत्रालय
8	श्री के.एस. मीना, सहायक निदेशक	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य के प्रतिभागियों की सूची:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	राज्य
1	सुश्री निहारिका बारिक सिंह, प्रधान सचिव	पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	राज्य
2	सुश्री प्रियंका ऋषि महोबिया, निदेशक	पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़
3	श्री दिनेश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक	पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़
4	सुश्री रूपाली गुप्ता, राज्य समन्वयक	आरजीएसए, छत्तीसगढ़
5	सुश्री उमा महादेवन (आईएएस) अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, कर्नाटक
6	सुश्री के. लक्ष्मी प्रिया, (आईएएस)- निदेशक	एएनएसएसआईआरडीपीआर, कर्नाटक
7	डॉ. जी.एस. गणेश प्रसाद, आरजीएसए समन्वयक	एएनएसएसआईआरडीपीआर, कर्नाटक
8	श्री एच एल मोहन	केएचपीटी, कर्नाटक
9	डॉ शर्मिला मैरी जोसेफ (आईएएस) प्रधान सचिव	एलएसजीडी, केरल
10	डॉ. जॉय एलामोन, महानिदेशक	केआईएलए, केरल
11	श्री एकनाथ दावाले, प्रधान सचिव	आरडी एवं पीआर, महाराष्ट्र
12	श्री आनंद भंडारी, निदेशक	पंचायत राज, महाराष्ट्र
13	डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, डीडीजी यशदा एवं निदेशक	एसआईआरडी, पुणे, महाराष्ट्र
14	श्री बालासाहेब जगताप, राज्य परियोजना प्रबंधक	आरजीएसए, महाराष्ट्र
15	श्री अमनदीप दुल्ले, विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
16	श्री अटल कुमार राय, निदेशक	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
17	सुश्री प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक पीआरआईटी और नोडल अधिकारी	आरजीएसए, पीआरडी
18	श्री प्रशांत कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक	आरजीएसए, उत्तर प्रदेश
19	श्री रितेश शर्मा, राज्य वित्त विशेषज्ञ	आरजीएसए, उत्तर प्रदेश